गुड्डी देवी बनाम बृजेन्द्र कुमार

14-7-2025

अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पर बहस करते हुए कथन किया कि प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 27.07.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। उक्त अपील में श्रीमती ज्याना देवी धर्मपत्नी ब्रजेन्द्र कुमार को बतौर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 स्थापित किया गया हैं। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 20–12–2017 को एक प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें बतलाया गया कि श्रीमती ज्यानी देवी का देहान्त दिनांक 20–08–2014 को चुका है इसलिए अपील अबेट हो चुकी है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 20–12–2017 को पेश करने से ही उक्त जानकारी अभिभाषक अपीलांट को हुई है तथा अभिभाषक अपीलांट द्वारा दिनांक 26–12–2017 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया है। अतः अपीलांट का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर श्रीमती ज्याना के वारिसानो को रिकॉर्ड पर लिया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. पेज संख्या 235 प्रस्तुत किया।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 का जवाब देते हुए कथन किया कि अपीलांट/प्रार्थिनी द्वारा अपील दिनांक 18–06–20 को वादगत भूमि की आवंटी ज्याना देवी के विरूद्ध पेश नही की और आवंटी के पति बृजेन्द्र के विरूद्ध अपील पेश की गई है फिर दिनांक 13–07–20217 को एकतरफा तौर पर न्यायालयहाजा को गुमराह कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बृजेन्द्र पालीवाल का नाम अपील से डिलिट करवा कर श्रीमती ज्याना पत्नी बृजेन्द्र पालीवाल का नाम बतौर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अंकन करवाया है। अपीलांट/प्रार्थिनी द्वारा एक मृतक के विरूद्ध अपील पेश की गई है जो खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्षो को प्रार्थना–पत्र पर सुना गया एवं न्यायिक दृष्टांत का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलाधीन आदेश द्वारा ज्यानादेवी को प्रश्नगत भूमि आवंटित हुई थी। परन्तु अपील पेश करते समय ज्यानादेवी को पक्षकार नहीं बनाया गया था। अपील ज्यानादेवी के पति बृजेन्द्र कुमार के विरूद्ध पेश की गई थी। अपीलांट को इस आशय का भलिभांति ज्ञान था क्योकि प्रस्तुत अपील के अपील मीमो सारांश में यह स्पष्टतः अंकित किया गया है कि **"अपील बनाराजगी हुक्म श्रीमान उपखण्ड अधिकारी पूगल दिनांक 27–07–2011 जिसकी रूह से अपीलांटा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बिना कोई सुनवाई, बिना आदेश जारी किये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की पत्नि ज्याना देवी के नाम से भूमि आवंटन किये जाने के आदेश**

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पारित किये गये, बमुराद मनसुखिया उपरोक्त आदेश एवं किये जाने अपील स्वीकार।" उक्त सारांश में अपीलांट स्वयं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पत्नि के नाम से आवंटन किया जाना स्वीकार कर रहे है ऐसे में उन्होंने ज्यानादेवी को पक्षकार ही नहीं बनाया।

तत्पश्चात प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसे एकपक्षीय रूप से निर्णित कर आदेशिका दिनांक 13–07–2017 द्वारा बृजेन्द्र कुमार के स्थान पर ज्यानादेवी को पक्षकार बनाया गया। उक्त आदेश मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है क्योंकि प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि ज्यानादेवी की मृत्यु दिनांक 20–08–2014 को हो चुकी है।

दिनांक 20–12–2017 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि अपीलांट ने ज्याना देवी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है जबकि ज्याना देवी की मृत्यु दिनांक 20–08–2014 को ही हो जाने से मृत व्यक्ति के विरूद्ध अपील किये जाने से अपील इसी स्तर पर खारिज फरमाई जावे। तत्पश्चात दिनांक 26–12–2017 को प्रकरण में आदेश 22 नियम 4 का प्रार्थना पत्र अपीलांट ने पेश कर ज्यानादेवी के वारिसों को पक्षकार बनाने का अनुतोष चाहा है।

इस पर न्यायालय का विनम्र मत यह है कि हस्तगत अपील पेश करने में अनेक विधिक त्रुटियां कारित की गई है। यह स्वीकृत तथ्य है कि ज्यानादेवी की मौत दिनांक 20–08–2014 को हो चुकी थी और अपील न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 18–06–2015 को पेश की गई।

आदेश 22 नियम 4 के प्रावधान वहां लागू होते है जहां वाद विचारण के दौरान कोई पक्षकार की मृत्यु होती है अगर वाद/अपील पेश करने से पूर्व कोई पक्षकार मृत है वहां ये प्रावधान लागू नहीं होते है। अगर पक्षकार एक से अधिक हो और राइट टू स्यू बचा हो तो भी अपील अबेट नहीं की जस सकती है परन्तु हस्तगत अपील में ज्याना देवी एकमात्र रेस्पोडेन्ट है। जिसकी मृत्यु अपील पेश करने से पूर्व ही हो गई थी।

इस स्थिति से यह साबित है कि अपील मृत पक्षकार के विरूद्ध पेश की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 में अबेटमेंट सेट असाइड किये जाने का भी अनुतोष नहीं चाहा है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 अस्वीकार किया जाकर प्रस्तुत अपील जरिये अबेटमेंट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामिल व तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर